HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 775/2025
URN: CMA / 1369U / 2025

उमर कुरैशी पुत्र श्री युसुफ कुरैशी, उम्र 31 वर्ष, निवासी–कच्ची बस्ती, मेहनत नगर, हटवाडा रोड, थाना सोडाला, जयपुर हाल निवासी–102, इबादत नगर, लालवास, थाना आमेर, जिला जयपुर

----प्रार्थी / अपीलार्थी

Versus

1. शंकर सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम गुगली, पोस्ट–आयदाना, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द, राज.। (वाहन चालक बस नं. RJ-30-PA-3320)
2. मैसर्स श्रीनाथ ट्रेवल एजेन्सी, पता–एन.एच.–8, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि (पंजीकृत वाहन स्वामी बस नं. RJ-30-PA-3320)
3. दि ओरियंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, जरिये प्रबंधक कार्यालय–एन.बी.सी. सेन्टर, सहकार मार्ग, जयपुर, राज.। (बीमा कम्पनी वाहन ट्रेलर नं. RJ-47-GA-1116)

----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Shiv Lal Meena, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

10/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर शहर, जयपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–123/2023, उमर कुरैशी बनाम शंकर व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 08.11.2024** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 18,30,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने

हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 3,32,477/— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 8,280/— रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी मोटरसाईकिल मैकेनिक का कार्य कर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर व शरीर के अन्य भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 26.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 26.50 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श—53 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of**

Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 24.11.2020 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को मोटरसाईकिल मैकेनिक का कार्य कर 15 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा तत्सयम प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 276 x 30 = 8,280/– रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना

अपीलार्थी को 28 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना माना है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 8,280/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत** (3,312/– रुपये) की बढ़ोतरी कर **कुल शुद्ध मासिक आय 11,592/– रुपये** होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में व शरीर के अन्य भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 26.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–53 के अवलोकन से स्पष्ट है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Rajkumar Vs. Ajay Kumar** reported in **IV(2010) ACC 815 SC** में पारित मत के आधार पर अपीलार्थी को कारित 26.50 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 13 प्रतिशत ही आंका गया है।

9. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "**9.** The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

RAJASTHAN HIGH COURT

10. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि विद्वान अधिकरण, स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी स्थायी निर्योग्यता को कम नहीं कर सकता। यदि विद्वान अधिकरण को स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में संदेह था तो वह स्थायी निर्योग्यता के संबंध में पुनः विशेषज्ञ की राय प्राप्त कर सकता था। अन्यथा ऐसी स्थिति में मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में जो स्थायी निर्योग्यता दर्शायी गयी है, वह पूर्ण स्थायी निर्योग्यता विशेषज्ञों की राय अनुसार यथावत मानी जावेगी।

11. अपीलार्थी को मजदूर श्रेणी का मैकेनिक माना गया है, जिसे अपने संपूर्ण शारीरिक बल को लगाकर कार्य करना होता है। हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–53 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगानेर, जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अतः **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत मामले में हम, अपीलार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–53 में अंकित 26.50 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 26.50 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 11,592/– रुपये का 26.50 प्रतिशत **3,072/– रुपये** होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 26 से 30 वर्ष के मध्य होना जाहिर है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **17 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **3,072 x 12 x 17 = 6,26,688/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

RAJASTHAN HIGH COURT

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को मेडिकल बिलों की मद में 8,357/— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को 7 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने हेतु पौष्टिक आहार की मद में 4,200/— रुपये की राशि दिलवायी गयी है। अतः उक्त राशि को हम 7 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में आंका जाना उचित समझते हैं तथा पौष्टिक आहार की मद में हम अपीलार्थी को 25,000/— रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 12,500/— रुपये की राशि दिलवायी गयी है, जो कम प्रतीत होती है। अतः उक्त मद में हम अपीलार्थी को 55,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा में कमी तथा यातायात व परिवहन की मद में कोई राशि नहीं दिलवायी गयी है। अतः हम अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा में कमी की मद में भी 55,000/— रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 10,000/— रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिससे उसका पैर डेढ़ इंच छोटा हो गया है। इस प्रकार अपीलार्थी करीब 4 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम 4 माह की आय की हानि के मद में 8,280 X 4 = 33,120/— रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति की मद	6,26,688/— रुपये

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

2.	मेडिकल बिलों की मद में	8,357 / — रुपये
3.	10 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	4,200 / — रूपये
4.	पौष्टिक आहार की मद में	25,000 / — रूपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा	55,000 / — रुपये
6.	भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा में कमी के मद में	55,000 / — रुपये
7.	परिवहन व्यय की मद में	10,000 / — रूपये
8.	4 माह आय की हानि की मद में	33,120 / — रुपये
9.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**8,17,365 / — रुपये**
10.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	3,32,477 / — रुपये
11.	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**4,84,888 / — रुपये**

18. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी / क्लेमेंट को **3,32,477 / — रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **8,17,365 / — रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

19. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

20. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

21. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

22. सभी लम्बित प्रार्थना—पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

38/KESHAV VERMA